



THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

03 PAUSH, 1943 (S)

No. 658

RANCHI, FRIDAY, 24th DECEMBER, 2021

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

24th December, 2021

Notification No. 15/2021 – State Tax

S.O. No. 58, Dated 24th December, 2021--In exercise of the powers conferred by section 164 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: -

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Jharkhand Goods and Services Tax (Fourth Amendment) Rules, 2021.

(2) These rules shall be deemed to be effective from 18th May, 2021.

2. In the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, -

(i) in rule 23, in sub-rule (1), after the words “date of the service of the order of cancellation of registration”, the words and figures “or within such time period as extended by the Additional Commissioner or the Joint Commissioner or the Commissioner, as the case may be, in exercise of the powers provided under the proviso to sub-section (1) of section 30,” shall be inserted;

(ii) in rule 90, -

(a) in sub-rule (3), the following proviso shall be inserted, -

“Provided that the time period, from the date of filing of the refund claim in **FORM GST RFD-01** till the date of communication of the deficiencies in **FORM GST RFD-03** by the proper officer, shall be excluded from the period of two years as specified under sub-section (1) of Section 54, in respect of any such fresh refund claim filed by the applicant after rectification of the deficiencies.”;

(b) after sub-rule (4), the following sub-rules shall be inserted, namely: -

“(5) The applicant may, at any time before issuance of provisional refund sanction order in **FORM GST RFD-04** or final refund sanction order in **FORM GST RFD-06** or payment order in **FORM GST RFD-05** or refund withhold order in **FORM GST RFD-07** or notice in **FORM GST RFD-08**, in respect of any refund application filed in **FORM GST RFD-01**, withdraw the said application for refund by filing an application in **FORM GST RFD-01W**.

(6) On submission of application for withdrawal of refund in **FORM GST RFD-01W**, any amount debited by the applicant from electronic credit ledger or electronic cash ledger, as the case may be, while filing application for refund in **FORM GST RFD-01**, shall be credited back to the ledger from which such debit was made.”;

(iii) in rule 92, -

(a) in sub-rule (1), the proviso shall be omitted;

(b) in sub-rule (2), -

(i) for the word and letter “Part B”, the word and letter “Part A” shall be substituted;

(ii) the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided that where the proper officer or the Commissioner is satisfied that the refund is no longer liable to be withheld, he may pass an order for release of withheld refund in Part B of **FORM GST RFD- 07**.”;

(iv) in rule 96, -

(a) in sub-rule (6), for the word and letter “Part B”, the word and letter “Part A” shall be substituted;

(b) in sub-rule (7), for the words, letters and figures, “after passing an order in **FORM GST RFD-06**”, the words, letters and figures, “by passing an order in **FORM GST RFD-06** after passing an order for release of withheld refund in Part B of **FORM GST RFD-07**” shall be substituted;

(v) in **FORM GST REG-21**, under the sub-heading “Instructions for submission of application for revocation of cancellation of registration”, in the first bullet point “after the words “date of service of the order of cancellation of registration”, the words and figures “or within such time period as extended by the Additional Commissioner or the Joint Commissioner or Commissioner, as the case may be, in exercise of the powers provided under proviso to sub-section (1) of section 30,” shall be inserted;

(vi) in rule 138E, for the words “in respect of a registered person, whether as a supplier or a recipient, who, —” the words “in respect of any outward movement of goods of a registered person, who, —” shall be substituted.

(vii) for **FORM GST RFD-07**, the following **FORM** shall be substituted, namely: -

"FORMGSTRFD-07"*[See rules 92(2) & 96(6)]*

Reference No.

Date: <DD/MM/YYYY>

To

_____ (GSTIN/UID/Temp. ID)

_____ (Name)

_____ (Address)

----- (ARN)

Part-A**Order for withholding the refund**

Refund payable to the taxpayer with respect to ARN specified above are hereby withheld in accordance with the provisions of sub-section (10)/ (11) of section 54 of the JGST Act, 2017. The reasons for withholding are given as under:

S.N o.	Particulars	
1	ARN	
2	Amount Claimed in RFD-01	<Auto-populated>
3	Amount Inadmissible in RFD-06	<Auto-populated>
4	Amount Adjusted in RFD-06	<Auto-populated>
5	Amount Withheld	
6	Reasons for withholding (More than one reason can be selected)	☐ Recoverable dues not paid ☐ In view of sub-section 11 of Section 54 ☐ On account of fraud (s) of serious nature ☐ Others, (specify)
7	Description of the reasons	(Up to 500 characters, separate file can be attached for detailed reasons)
8	Record of Personal Hearing	(Up to 500 characters, separate file can be attached for detailed records)

Part-B**Order for release of withheld refund**

This has reference to your refund application <ARN> dated <date> against which the payment of refund amount sanctioned vide order <RFD-06 order no> dated <date> was withheld by this office order <Order Reference No> dated <date>. It has been now found to my satisfaction that the conditions for withholding of refund no longer exist and therefore, the refund amount withheld is hereby allowed to be released as given under:

S.N o.	Particulars	
1	ARN	
2	Amount Claimed in RFD-01	<Auto-populated>
3	Amount Inadmissible in RFD-06	<Auto-populated>
4	Amount Adjusted in RFD-06	<Auto-populated>
5	Amount Withheld in RFD-07 A	<Auto-populated>
6	Amount Released	
7	Amount to be Paid	

Date:

Signature (DSC):

Place:

Name:

Designation:

Office Address: ”;

(viii)after **FORM GST RFD-01 B**, the following **FORM** shall be inserted, namely: -

“FORM GST RFD-01 W**[Refer Rule 90(5)]****Application for Withdrawal of Refund Application**

1. ARN:
2. GSTIN:
3. Name of Business (Legal):
4. Trade Name, if any:
5. Tax Period:
6. Amount of Refund Claimed:
7. Grounds for Withdrawing Refund Claim:
 - i. Filed the refund application by mistake
 - ii. Filed Refund Application under wrong category
 - iii. Wrong details mentioned in the refund application
 - iv. Others (Please Specify)
8. Declaration: I/We <Taxpayer Name> hereby solemnly affirm and declare that the information given herein is true and correct to the best of my/ our knowledge and belief and nothing has been concealed there from.

Place:

Signature of Authorised Signatory

Date:

Name

Designation/ Status”.

[File. No. VaKar/GST/01/2020]

By the order of the Governor of Jharkhand,

Aradhana Patnaik,

Secretary,

Commercial taxes Department.

Note: The principal rules were published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 28 -State Tax, dated the 20th June, 2017, published and was last amended *vide* notification No. 13/2021-State Tax, dated the 23rd June, 2021, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 41, dated the 23rd June, 2021.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना संख्या - 15/2021- राज्य कर

एस.ओ.सं.58, दिनांक 24 दिसम्बर, 2021--झारखण्ड सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, झारखण्ड माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम झारखण्ड माल और सेवा कर (चौथा संशोधन) नियमावली, 2021 है ।

(2) ये नियम तारीख 18 मई, 2021 से प्रवृत्त होंगे ।

2. झारखण्ड माल और सेवा कर नियमावली, 2017 में,-

(i) नियम 23 के उपनियम (1) में, “रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश की तामील की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर” शब्दों के पश्चात्, “या ऐसी अवधि के भीतर, जो धारा 30 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन उपबंधित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यथास्थिति, अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त या आयुक्त द्वारा विस्तारित की जाए,” शब्द, अंक और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) नियम 90 में,

(क) उपनियम (3) में निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह कि कमियों को सुधारने के बाद आवेदक द्वारा दायर किए गए नए प्रतिदाय के दावे के संबंध में, प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 में प्रतिदाय के दावे को दायर करने की तारीख से समुचित अधिकारी द्वारा प्ररूप जीएसटी आरएफडी-03 में कमियों को संसूचित करने की तारीख तक की, समय अवधि को, धारा 54 की उपधारा (1) के तहत निर्दिष्ट दो साल की समय सीमा से बाहर रखा जाएगा।

(ख) उपनियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“(5) आवेदक, किसी प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 में दायर किए गए प्रतिदाय के आवेदन के संबंध में, प्ररूप जीएसटी आरएफडी-04 में अनंतिम प्रतिदाय मंजूरी आदेश या प्ररूप जीएसटी आरएफडी-06 में अंतिम स्वीकृत प्रतिदाय आदेश या प्ररूप जीएसटी आरएफडी-05 संदाय आदेश या प्ररूप जीएसटी आरएफडी-07 में प्रतिदाय रोकने के लिए आदेश या प्ररूप जीएसटी आरएफडी-08 में नोटिस, के जारी

किए जाने से पूर्व किसी भी समय, प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01डब्ल्यू, में आवेदन दायर करके प्रतिदाय के लिए उक्त आवेदन को वापस ले सकेगा ।

(6) प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 में प्रतिदाय के लिए आवेदन करते समय, यथास्थिति, इलेक्ट्रॉनिक उधार खाता या इलेक्ट्रॉनिक नगद खाता से आवेदक द्वारा विकलित कोई रकम प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01डब्ल्यू में प्रतिदाय की वापसी के आवेदन को प्रस्तुत करने पर उस खाते में वापस जमा की जाएगी जिससे ऐसा विकलन किया गया था।”;

(iii) नियम 92 में,-

(क) उपनियम (1) में परंतुक का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपनियम (2) में,-

(i) “भाग ख”, शब्द और अक्षर के स्थान पर, “भाग क” शब्द और अक्षर रखा जाएगा ;

(ii) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु जहाँ समुचित अधिकारी या आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि प्रतिदाय इससे अधिक रोके जाने हेतु दायी नहीं है, वहाँ वह प्ररूप जीएसटी आरएफडी-07 के भाग-ख में रोके गए प्रतिदाय को जारी किए जाने का आदेश पारित कर सकेगा ।”;

(iv) नियम, 96 में,-

(क) नियम 6 में, “भाग ख”, शब्द और अक्षर के स्थान पर, “भाग क” शब्द और अक्षर रखा जाएगा ;

(ख) उपनियम (7) में, “प्ररूप जीएसटी आरएफडी-06 में आदेश पारित करने के पश्चात्”, शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, “प्ररूप जीएसटी आरएफडी-07 के भाग-ख में रोके गए प्रतिदाय को जारी करने के लिए किसी आदेश को पारित करने के पश्चात् प्ररूप जीएसटी आरएफडी-06 में कोई आदेश पारित करने के पश्चात्” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(v) उक्त नियम के प्ररूप जीएसटी आरईजी-21 में, “आरईजी के रद्दकरण के विखंडन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अनुदेश” उपशीर्ष के अधीन, पहले बुलेट बिंदु में, “आरईजी के रद्दकरण के आदेश की तामील की तारीख से तीस दिन में” शब्दों के पश्चात्, “या ऐसी अवधि के भीतर, जो धारा 30 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन उपबंधित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यथास्थिति, अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त या आयुक्त द्वारा विस्तारित की जाए,” शब्द, अंक और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(vi) नियम 138ई में, “रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में चाहे वो प्रदायकर्ता हो या प्राप्तिकर्ता हो” शब्दों को “रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के द्वारा माल के किसी भी जावक संचलन के संबंध में” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(vii) प्ररूप जीएसटी आरएफडी-07 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

“प्ररूप जीएसटी आरएफडी-07

[नियम 92(2) और नियम 96(6) देखें]

तारीख: <दिन/मास/वर्ष>

संदर्भ सं.

सेवा में

.....(जीएसटीआईएन/विशिष्ट पहचान सं./अस्थायी पहचानपत्र)

.....(नाम)

.....(पता)

.....(एआरएन)

भाग-क**प्रतिदाय रोकने के लिए आदेश**

उपरोक्त यथाविनिर्दिष्ट एआरएन के संबंध में आयकरदाता को संदेय प्रतिदाय झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 54 की उपधारा (10)/उपधारा (11) के उपबंधों के अनुसार रोका जाता है। रोके जाने के लिए कारण निम्न प्रकार है :

क्र. सं.	विशिष्टियां	
1.	एआरएन	
2.	आरएफडी-01 में दावाकृत रकम	<ऑटो पोपुलेटेड>
3.	आरएफडी-06 में अग्राह्य रकम	<ऑटो पोपुलेटेड>
4.	आरएफडी-06 में समायोजित रकम	<ऑटो पोपुलेटेड>
5.	रोकी गई रकम	
6.	रोके जाने के लिए कारण (एक से अधिक कारण का चयन किया सकता है)	• वसूलनीय देय, जो संदत्त नहीं किए • धारा 54 की उपधारा (11) को ध्यान में रखते हुए, • गंभीर प्रकृति के कपट(टों) के कारण • अन्य, (विनिर्दिष्ट करें)
7.	कारणों का वर्णन	(पांच सौ अक्षरों तक, विस्तृत कारणों के लिए पृथक फाइल संलग्न की जा सकती है)
8.	व्यक्तिगत सुनवाई का रिकॉर्ड	(पांच सौ अक्षरों तक, विस्तृत कारणों के लिए पृथक फाइल संलग्न की जा सकती है)

भाग-ख**रोके गए प्रतिदाय को जारी करने का आदेश**

यह आपके प्रतिदाय आवेदन <एआरएन> दिनांक <दिनांक> के संदर्भ में है, जिसके विरुद्ध आदेश <आरएफडी-06 आदेश संख्या > दिनांक <दिनांक> द्वारा स्वीकृत संदेय प्रतिदाय की राशि के भुगतान को इस कार्यालय के आदेश <आदेश संख्या > दिनांक <दिनांक> द्वारा रोक दिया गया था। अब मैंने अपनी संतुष्टि में यह पाया है कि प्रतिदाय की रकम को रोके जाने की शर्तें अब अस्तित्व में नहीं हैं और इसलिए, रोके गए प्रतिदाय की राशि को निम्नानुसार जारी किए की अनुमति दी जाती है :

क्र. सं.	विशिष्टियां	
1.	एआरएन	
2.	आरएफडी-01 में दावाकृत रकम	<ऑटो पोपुलेटेड>
3.	आरएफडी-06 में अग्राह्य रकम	<ऑटो पोपुलेटेड>
4.	आरएफडी-06 में समायोजित रकम	<ऑटो पोपुलेटेड>
5.	रोकी गई रकम	<ऑटो पोपुलेटेड>
6.	जारी की गई रकम	
7.	संदत्त की जाने वाली रकम	

तारीख :

हस्ताक्षर (डीएससी) :

स्थान :

नाम :

पदनाम :

कार्यालय पता : ”;

(viii) प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01ख के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01डब्ल्यू**[नियम 90(5) देखिए]****प्रतिदाय आवेदन की वापसी हेतु आवेदन**

1. एआरएन :
2. माल और सेवा कर पहचान सं. :
3. कारबार का नाम (विधिक) :
4. व्यापार नाम, यदि कोई हो :
5. कर अवधि :
6. दावा किए गए प्रतिदाय की रकम :
7. प्रतिदाय दावा वापस लेने के लिए आधार :

i प्रतिदाय आवेदन गलती से फाइल किया गया है

ii प्रतिदाय आवेदन गलत प्रवर्ग के अधीन फाइल किया गया है

iii प्रतिदाय आवेदन में गलत ब्यौरे उल्लिखित हैं

iv अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

8. मैं/हम (आयकरदाता का नाम) सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ/करते हैं और यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इसमें दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही हैं और उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

तारीख :

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर :

स्थान :

नाम :

पदनाम :

प्रास्थिति : ” ।

[सं.सं.वा०कर/जी०एस०टी/01/2020]

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

आराधना पटनायक,
सचिव, वाणिज्य-कर विभाग ।

टिप्पण : मूल नियम, झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में, एस. ओ. सं. 28- राज्य कर तारीख 20 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए और अधिसूचना संख्यांक 13/2021- राज्य कर, तारीख 23 जून, 2021, जो झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में, एस. ओ. सं. 41, तारीख 23 जून, 2021, द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित किए गए ।
